



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपकरण)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313

क्रमांक- प्रनि/जोविनिनि/अनु-पीपीएम/पत्रा० / प्र०सं० 347 जोधपुर दिनांक 12/5/06


आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन के स्थानान्तरण के सम्बंध में।

पूर्व में जारी निगम के आदेश/क्रमांक/अप्रनि/जोडि/अनु-पीपीएम/मुअ/सीपीएम/जो/प्रे.स.2200 दिनांक 14.11.2005 आर.ई.ओ.-109 के द्वारा आर.ई.ओ.-97 में आंशिक संशोधन कर निर्णय लिया गया था कि दिनांक 24/25 अक्टूबर 2005 को आयोजित समन्वय समिति की 87 वीं बैठक में निर्णय लेकर आर.ई.ओ.-97 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन कर "पंचायत" शब्द की जगह पंचायत समिति किया जाता है तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि "जिन कृषकों को कुए हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटन हुई है उनका कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण उपरोक्त नियम के अन्तर्गत सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में किया जावे। इस प्रकार से स्थानान्तरण पर भी भूमि का स्वामित्व प्रार्थी के नाम से कम से कम दो वर्ष पूर्व से होना चाहिये।"

दिनांक 20/24.4.2006 को आयोजित समन्वय समिति की 93 वीं बैठक में, पूर्व दिनांक 24/25.10.2005 को हुई बैठक से लिये गये निर्णय का पुनरावलोकन कर यह तय किया गया है कि कृषि कनेक्शन सरकारी आवंटित राजस्व भूमि पर ट्यूबवैल खुदा कर स्थानान्तरण कराने पर, भूमि का स्वामित्व प्रार्थी के नाम कम से कम दो वर्ष होने की समय सीमा हटा दी गई है।


उपरोक्त कृषि कनेक्शनों के स्थानान्तरण को प्राथमिकता पूर्व में जमा हो चुके मांग पत्रों के बाद में दी जावेगी।


[एच.एस.देवडा]
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- ❖ सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- ❖ सलाहकार (मॉनिटरिंग) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- ❖ प्रबन्ध निदेश, जयपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/अजमेर।
- ❖ सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एवं लेख नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एवं संघ./पी.पी.एण्ड एम./पदार्थ प्रबन्ध/वाणिज्य/मण्डली/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीमंगलनगर/हनुमानगढ़
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (S&I) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संघ./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- ❖ कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्गिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधिशाही अभियन्ता (पत्रास/विधि/सतर्कता/अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- (आप के अधिनियम कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं तथा कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)
- ❖ प्रा.सहा. प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम जोधपुर/जयपुर/अजमेर।
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- ❖ निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजराजविद्युत प्रसारण निगम लि० जयपुर को माननीय प्रबन्ध निदेशक को सूचनार्थ।
- ❖ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ प्रा.सहा. मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- ❖ जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० जयपुर/राजराजविद्युत प्रसारण निगम लि० जयपुर।

सहायक/आईओ


मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर